

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 295 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई 2013—आषाढ़ 18, शक 1935

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2013

क्र. एफ. 22-41-2011-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 200 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-41-2011-आठ, दिनांक 21 जनवरी, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी, 2013 में प्रकाशित की गई थी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के कॉलम (2) और (3) में, प्रविष्टि (क) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
(कक)	केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 के अधीन मोटरयान के ऊपर लाल/पीली बत्ती का अनाधिकृत उपयोग.	रु. 3000/-
(कख)	मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 185 के उपनियम (4) के भंग के लिए साइरन/हूटर का अनाधिकृत उपयोग	रु. 3000/-

No. F. 22-41-11-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's notification No. F-22-41-11-VIII, dated 21st January, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, 21st January, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in column (2) and (3), after entry (a) the following entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)
(aa)	Under Rule 108 of Central Motor Vehicle Rules, 1989  Unauthorized use of Red/Yellow light on top of Motor Vehicle	Rs. 3000/-
(ab)	For breach of sub-rule (4) of rule 185 of the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994 Unauthorized use of Siren/Hooter	Rs. 3000/-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रेनू तिवारी, अपर सचिव.